ont>

13.26 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. SPEAKER: All the matters under Rule 377 listed for today will be taken as laid on the Table of the House. I now go to the next item on the agenda.

â€¦ (व्यवधान)

Title: Need to develop parks adjoining Group Housing Societies in East Delhi by D.D.A.-Laid.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में नर्सरी स्कूल के लिए लगभग सभी सोसायटियों में प्लाट पड़े हैं, जबकि वहां पर इन स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। यहां की जरूरत के मुताबिक सभी क्षेत्रों में दर्जनों स्कूल खुल चुके हैं। यहां के नागरिकों की मांग है कि इन प्लाटों पर पार्क विकसित किये जायें, जिससे यहां दिल्ली में फैलते हुए प्रदूाण से लोगों को बचाया जा सके। मैंने इस संबंध में अनेकों पत्र उपाध्यक्ष डी.डी.ए. को लिखे हैं और यहां की सोसायटियों ने भी अनेकों बार अनुरोध किया है, परन्तु डी.डी.ए इस पर गौर नहीं कर रही है और आर्थिक लाभ के लिए नर्सरी स्कूलों को बेचना चाहती है। यदि यहां स्कूल बन गये तो लोग नर्सरी के नाम पर बड़े-बड़े भवनों का निर्माण कर देंगे और लोगों का जीना दूभर हो जायेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि डी.डी.ए के अधिकारियों को यह निर्देश दें कि इन जगहों पर पहले से ही बने पार्को को पार्क ही रहने दिया जाये और उन्हें विकसित भी किया जाये।

*Treated as laid on the Table.